

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(एकल खिड़की कोषांग 04-शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)

लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के चुनाव-प्रचार-प्रसार हेतु वाहन परिचालन हेतु अनुमति पत्र

स्वीकृति आदेश सं० :- 102

दिनांक-20/4/19

श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह पिता/पति श्री ब्रह्मदेव सिंह ग्राम ओम ब्रह्म जानकी भावना थाना कुण्डवा चैनपुर चुनाव अभिकर्ता श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह अभ्यर्थी ऑल इन्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु आवेदन में वर्णित वाहनों का शिवहर लोक सभा/विधान सभा क्षेत्र के लिए श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह पार्टी का नाम निर्दलीय के चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहन परिचालन हेतु आवेदन पत्र दिया गया है 04 शिवहर लोक सभा क्षेत्र में निम्नलिखित वाहनों के परिचालन की अनुमति निम्न उल्लेखित शर्तों के तहत दी जाती है :-

क्र. 0	वाहन का प्रकार	वाहन संख्या	वाहन प्रयोग करने वाले का नाम/अभिकर्ता	वाहन मालिक का नाम/पता/मो 0न0	वाहन चालक का नाम/पता अनु0स0	वाहन पर प्रयोग हेतु ध्वनी विस्तारक यंत्र एवं झंडा			अनुमति की तिथि/अवधि	
						प्रयोग करेंगे (हां/नहीं)	यंत्र की संख्या प्रकार	झंडा	कब से	कब तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बोलेरो	BR52 3187	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह	राजेश कुमार सिंह 7764938555	राजेश कुमार सिंह 7764938555	नहीं	शुन्य	एक	20.04.2019	10.05.2019 5 बजे संध्या तक

- लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर लागू आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- यह अनुमति पत्र मूल में उक्त वाहन के आगे सुलभ दृष्टिगोचर स्थान पर विन्ड स्क्रीन पर लगा/चिपका कर रखेंगे तथा इसका उपयोग अन्य वाहन पर कदापि नहीं करेंगे।
- किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने अथवा उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- निर्धारित समय-सीमा समाप्त के उपरान्त वाहन मालिक यह अनुमति पत्र एकल खिड़की कोषांग 04-शिवहर, पूर्वी चम्पारण में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।
- यह अनुमति पत्र यह मानते हुए प्रदान किया गया है कि वाहन रजिस्ट्रेशन/चालक का लाईसेंस/वाहन का बीमा/प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र तथा अन्य वांछित कागजात/Motor Vehicle Act के प्रावधानों को पूरा करता है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन की स्थिति में पकड़े जाने पर सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

वाहन परिचालन अनुमति के लिए अनिवार्य वांछित कागजात :-

- (i) वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र (ii) अद्यतन एवं वैध कागजात
 (iii) प्रदूषण/फिटनेस प्रमाण-पत्र (iv) वाहन चालक का अनुज्ञप्ति की छाया प्रति
 (v) वाहन मालिक का एकरारनामा शपथ-पत्र (मूल में) जिसमें दैनिक भाड़ा वर्णन होगा

- वाहन में एक झंडा अधिकतम 1ft x 1/2ft लगाने की अनुमति होगी। कोई बैनर/पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी। 1 या 2 छोटे साईज का स्टिकर वाहन में लगाया जा सकता है।
- वाहन का उपयोग प्रचार सामग्री के वितरण में नहीं की जा सकती है।
- वाहन के पूर्ण व्यय का लेखा-जोखा अभ्यर्थी के व्यय खाते में संधारित करना अनिवार्य होगा।
- यह अनुमति दिनांक 20.04.2019 से 10.05.2019 के संध्या 5 बजे तक अनुमान्य होगा। इसके बाद वाहन का प्रयोग निर्वाचन प्रचार में वर्जित होगा। इसके पश्चात वाहन को वाहन कोषांग में जमा करना चाहेंगे।
- विशेष परिस्थिति बिना किसी कारण बताये उपरोक्त अनुमति को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
- यह अनुमति लोक सभा क्षेत्र 04-शिवहर क्षेत्रान्तर्गत ही अनुमान्य है।
- अभ्यर्थी जिस दल से संबंधित है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रचार में पाया गया तो अनुमति रद्द करते हुए वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

निर्वाची पदाधिकारी
04-शिवहर, लोक सभा क्षेत्र

19.4.19

ज्ञापांक 102 / ए0खि0को0, शिवहर, दिनांक 20 अप्रैल 2019

- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निर्वाचन पदाधिकारी/शिवहर लोक सभा क्षेत्र/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ थानाध्यक्ष, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग(एम0सी0सी0)/व्यय अनुश्रवण कोषांग, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निर्वाची पदाधिकारी 03-पूर्वी चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सीतामढ़ी एवं शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मोतिहारी, सीतामढ़ी एवं शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

19.4.19
निर्वाची पदाधिकारी
04-शिवहर लोक सभा क्षेत्र